भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation (IPF)

साम्प्रदायिक सामाजिक दर्शन

केन्द्र द्वारा 20 हजार करोड़ की सार्वजनिक सम्पत्ति पर

विवादास्पद निर्णय

क्या भारतीय राज्य का सामाजिक दर्शन साम्प्रदायिक सोच और अवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से संचालित होता रहेगा?

सामयिक प्रपत्र – 03/2014

शोधकर्ता
मनमोहन शर्मा
एवं
डॉ. ममता त्रिपाठी

केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा 16वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व मन्त्रिपरिषद् की बैठक (2 मार्च 2014) में जल्दबाजी में एक निर्णय लिया गया है जिसका दूरगामी परिणाम देश की सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर पड़ना अवश्यम्भावी है। सरकार ने भारतीय राज्य.भारत सरकार के अधीनस्थ 123 बहुमूल्य संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को देने का निर्णय लिया है । ये सभी सम्पत्तियाँ राजधानी दिल्ली के महत्त्वपूर्ण आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थित हैं । यदि बर्नी कमेटी की अनुशंसा मान ली जाये तो राजधानी दिल्ली की 1360 एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड को दे दी जायेगी । इसमें भारत के उपराष्ट्रपति भवन का भी लॉन सम्मिलित है । यदि बर्नी कमेटी की अनुसंशा में कुछ संशोधन करके भी प्रस्तावित सम्पत्ति वक्फ बोर्ड को दी जाती है तो भी इन सम्पत्तियों की अनुमानित लागत एक लाख करोड़ रुपये से कम होंने का प्रश्न ही नहीं उठता । इससे पहले जब 2010–11 में सरकार शत्रु–संपत्ति कानून में संशोधन कर लगभग एक लाख करोड़ की सम्पत्ति उसके कथित दावेदारों में बाँटना चाहती थी तब भारत नीति प्रतिष्ठान ने हस्तक्षेप कर इस कदम को 'संकीर्ण', 'साम्प्रदायिक' और 'लोकविरोधी' साबित किया था । यहाँ यह बात भी ध्यातव्य है कि चुनाव से ठीक पूर्व केन्द्र सरकार ने बर्नी कमेटी की अनुसंशा मानकर इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया है ।

क्या हमारा सामाजिक दर्शन राजनीतिक स्वार्थ से संचालित होगा? क्या सार्वजनिक सम्पत्तियों को हम इसी प्रकार निजी या धार्मिक हाथों में सौंपते रहेंगे? सम्पत्तियों का आकलन, उनपर मालिकाना हक मुगल/औपनिवेशिक काल में जिस प्रकार था क्या वह वैज्ञानिक, न्यायिक और राष्ट्र के सामूहिक हित के अनुकूल था? क्या उसे आधार बनाकर सार्वजनिक हितों को ऐसी ही तिलाञ्जलि दी जाती रहेगी? हमारा सामाजिक दर्शन लोकतान्त्रिक मूल्यों एवं व्यापक जनहित के सवालों से जुड़ा होना चाहिये । इस प्रश्न पर व्यापक बहस की आवश्यकता है। इसी को देखते हुये यह सामयिक–प्रपत्र (Occasional Paper) प्रतिष्ठान की शोध टीम द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

3.3.2014

राकेश सिन्हा
मानद निदेशक
भारत नीति प्रतिष्ठान

116 वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व केन्द्र सरकार ने एक अत्यन्त ही विवादास्पद निर्णय लिया है । यह निर्णय कितना देशहित में है एवं कितना जनहित में? यह एक बड़ा प्रश्न राष्ट्र के सामने है । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि देश की राजधानी में स्थित 123 बहुमूल्य अचल सम्पत्तियों को मुस्लिमों के दिल्ली वक्फ बोर्ड नामक संस्था के हवाले कर दिया जाये । अभी तक यह समस्त सम्पत्ति केन्द्र सरकार के स्वामित्व में आती थी । इन सम्पत्तियों की इस समय बाजार में कीमत 20 हजार करोड़ से भी अधिक है।

ज्ञातव्य है कि 1911 में जब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने का निर्णय लिया था उस समय उसने इन सम्पत्तियों का अधिग्रहण करके इनका स्वामित्व अपने हाथ में लिया था । वर्तमान में इन सम्पत्तियों में से 61 का स्वामित्व भूमि विकास बोर्ड और शेष का स्वामित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है।

ऐसा बताया जाता है कि मुस्लिम संस्थाओं के दबाव पर 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने केन्द्र सरकार को इन सम्पत्तियों का पता लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों ने काफी खोजबीन करने के बाद इन सम्पत्तियों का पता लगाया। उस समय मुस्लिम संस्थाओं का कहना था कि ये सम्पत्तियाँ मूल रूप से वक्फ की हैं जिनको दिल्ली राजधानी क्षेत्र के विभिन्न मुसलमानों ने धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए धर्मार्थ दान दिया था। बताया जाता है कि उस समय नागरिक विकास विभाग के अधिकारियों ने मुस्लिम नेताओं के इस आग्रह को मानने से इंकार कर दिया था। तब इंदिरा गाँधी ने स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए ये मामला तत्कालीन नागरिक विभाग के सचिव एस.एम. बर्नी को सौंपा था। बर्नी ने मुस्लिम नेताओं के भारी दबाव के बाद, काफी खोजबीन करके इन सम्पत्तियों का पता लगाया था। 1980 में पुनः सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इसे मुसलमानों को सौंपना चाहती थी परन्तु 1983 में इंद्रप्रस्थ विश्व हिन्दु परिषद् के अध्यक्ष श्री वैकुंठ लाल शर्मा 'प्रेम' ने इस मामले को न्यायालय में उठाया। 1984 में न्यायालय ने इस संबंध में एक स्थगन आदेश जारी करके इन सम्पत्तियों के दिल्ली वक्फ बोर्ड को स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी थी। यह मामला 28 वर्ष तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। 2011 में न्यायालय ने 1984 के स्थगन आदेश को रद्द कर दिया उसके बाद मुस्लिम नेता हजारों करोड़ की इस सम्पत्ति को हड़पने के लिए सक्रिय हो गये। उर्दू समाचारपत्रों और विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं ने इसके लिए व्यापक अभियान चलाया परन्तु मंत्रालय के अधिकारी इन सम्पत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने के पूर्णतः विरुद्ध थे। उनका तर्क था कि यह समस्त सम्पति केन्द्र सरकार की है एवं इसे वक्फ बोर्ड को सौंपने से एक नयी परंपरा प्रारम्भ होगी, जिसका अनुसरण देश के अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। निर्दलीय मुस्लिम सांसद मोहम्मद अदीब द्वारा इस अभियान को जोरदार ढंग से चलाया गया। उन्होंने मुस्लिम सांसदों का एक दबाव–समूह बनाया, जिसकी बैठकों में अनेक बार इस विषय पर गम्भीर चर्चा हुयी। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह आदि केन्द्रीय नेताओं को इस सन्दर्भ में मुस्लिम सांसदों ने ज्ञापन दिए। बताया जाता है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान, केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने इन सम्पत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले करने के मामले में जोरदार भूमिका निभाई है। यही नहीं यह प्रकरण अटार्नी जरनल गुलाम अहमद वाहनवती तक भी पहुंचा। कहा जाता है कि इन मुस्लिम मंत्रियों के दबाव के कारण वाहनवती ने भी इनकी हां में हां मिला दी।

कांग्रेस आने वाले चुनाव में मुसलमानों के वोट बटोरने के उद्देश्य से इस सम्पत्ति–हस्तान्तरण को चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है।

वक्फ कांउसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सचिव डॉ. रिजवान–उल–हक का कहना है कि ये मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है इनमें से अधिकांश सम्पत्तियाँ धार्मिक हैं, जबकि कुछ सम्पत्तियाँ केन्द्र सरकार के अधीन हैं। 17 नवबंर 2006 को प्रकाशित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 6 लाख एकड़ की 4 लाख 90 हजार रजिस्टर्ड वक्फ सम्पत्तियाँ हैं, जिनकी कीमत का अनुमान 20 लाख करोड़ है परन्तु इनसे सरकार को मात्र 163 करोड़ की आय होती है। इसी रिपोर्ट में दिल्ली की 318 वक्फ सम्पत्तियों की सूची भी दी हुई है, जिनके सन्दर्भ में कहा गया है कि है कि ये सम्पत्तियाँ अवैध कब्जें में हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार 1911 में जब ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में राजधानी बनाने के लिए 132 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया था तो अधिग्रहण की गई भूमि में कई मस्जिदें, दरगाह एवं कब्रिस्तान आदि भी थे, जिन्हें सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। उस समय किसी ने इन कथित वक्फ सम्पत्तियों के अधिग्रहण पर कोई आपत्ति नहीं की थी। बाद में जब दिल्ली मजलिस–ए–उकाफ का अंग्रेजो ने गठन किया तब भी उसने इस मामले को नहीं उठाया। स्वतन्त्रता के बाद जब दिल्ली में भूमि के भाव बढ़े तो मुस्लिम नेताओं ने इन कथित वक्फ सम्पत्तियों की वापसी के लिए मांग उठाना प्रारम्भ किया। इस सन्दर्भ में 1970 में केन्द्र सरकार ने तत्कालीन केन्द्रीय सचिव सैयद मुजफ्फर उसैन बर्नी के नेतृत्व

में एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में 250 वक्फ सम्पत्तियों का दावा किया जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी बनाने के उद्देश्य से अधिग्रहण की गई भूमि के साथ–साथ अपने नियन्त्रण में लिया था। कहा जाता है कि कांग्रेस की तुष्टीकाण नीति के कारण मीर नसरउल्लाह कमेटी ने यह सिफारिश की कि इन सम्पत्तियों में से 123 ऐसी सम्पत्तियां हैं जिनको वक्फ बोर्ड को हस्तान्तरित किया जा सकता है। बताया जाता है कि इन सम्पत्तियों को मुस्लिमों को सौंपने का विरोध केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने भी किया और सुझाव दिया कि इन सम्पत्तियों को मुसलमानों को सौंपने के बजाय केन्द्र सरकार उन्हें लीज पर दे दे। उस समय केन्द्र में आवास मंत्री मोहसिना किदवई थीं । उनकी भूमिका इस मामले में काफी संदिग्ध बतायी जाती है। उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल इस हजारों करोड की सम्पत्ति को मुसलमानों को सौंपने के लिए किया।

जब इस खुली लूट एवं बंदरबाट की मीडिया में चर्चा हुई तो इन्द्रप्रस्थ विश्व हिन्दु परिषद् ने इस नोटीफिकेशन को चुनौती दी जिसपर अदालत ने स्थगन आदेश जारी कर दिया।

बताया जाता है कि मुस्लिम नेताओं के दबाव के कारण 17 अप्रैल 2008 को तत्कालीन नागरिक मामलों के मंत्री जयपाल रेड्डी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस मामले पर विचार विमर्श किया गया था। मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात पर बल दिया था कि इस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय आवास मंत्रालय को नहीं करना चाहिए अपितु ऐसे आवश्यक निर्णय के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित करके इस विषय को उसके अधीन किया जाना चाहिये। इसी दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय में 12 जनवरी 2011 को इन 123 कथित वक्फ सम्पत्तियों के विषय में पेटिशन सं. 1512/1984 को खारिज कर दिया गया। तब से यह मामला अधर में लटका हुआ था। अब चुनाव सन्निकट आने के कारण इस विषय पर अचानक केन्द्र–सरकार की कुम्भकर्णी निद्रा खुली है और उसने इन सम्पत्तियों को मुसलमानों के हवाले करने का राष्ट्रघाती निर्णय लिया है।

संपत्तियों का विवरण जो केन्द्र सरकार मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड को सौंपने की तैयारी कर चुकी है:–

1. मस्जिद अब्दुल नबी परिसर, समीप आईटीओ (15 एकड़ क्षेत्रफल)
2. मस्जिद बाबर शाह, समीप तिलक ब्रिज (10 एकड़ क्षेत्रफल)
3. मस्जिद बाबर रोड एवं स्कूल परिसर, समीप बंगाली मार्किट, (11 एकड़ भूमि)
4. मस्जिद निजाम हाल्स, समीप इंडिया गेट (4 एकड़ क्षेत्रफल)
5. मस्जिद अबदुल हक, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली (1 एकड़)
6. कब्रिस्तान, मथुरा रोड, समीप इंडियन एक्सप्रेस भवन (150 एकड़)
7. मस्जिद एवं दरगाह, समीप कोटला फिरोजशाह (20 एकड़)
8. कब्रिस्तान कादियान, साउथ इंद्रप्रस्थ समीप पुराना किला (37 एकड़)
9. दरगाह कुतुब हैदर, समीप विकास मीनार (5 एकड़)
10. मस्जिद मिन्टो ब्रिज, कनाट पैलेस।
11. पंत अस्पताल के पीछे मस्जिद और 21 एकड़ भूमि।
12. लोकनायक अस्पताल के पीछे, 35 एकड़ भूमि।
13. लिंक हाउस के सामने मस्जिद और 20 एकड़ परिसर।
14. प्लाजा सिनेमा कनॉट प्लेस के समीप दरगाह और 7 एकड़ भूमि।
15. मस्जिद मीरदर्द और मजार वली मोहम्मद, जवाहर लाल नेहरू रोड (35 एकड़)
16. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के भीतर मस्जिद और उसका 7 एकड़ का परिसर।
17. लाल किला के समीप 10 एकड़ दरगाह की भूमि।
18. दरगार शेख कलीमउल्लाह लाल किले के सामने 11 एकड़ भूमि।
19. रामलीला ग्राउंड के समीप 10 एकड़ भूमि में कब्रिस्तान और मस्जिद।
20. मीरदर्द दरगाह बैरनरोड 35 एकड़।
21. मस्जिद रिसाले वाली तिमारपुर, 11 एकड़ भूमि।
22. जामा मस्जिद के समीप, 10 एकड़ भूमि।
23. लुडलों कैसल पुराना कब्रिस्तान, 55 एकड़ भूमि।
24. गुरूद्वारा रोड, 35 एकड़ वक्फ भूमि।
25. दरगाह बड़ेशा बेला रोड, 15 एकड़ भूमि।
26. मस्जिद परिसर, खैबर पास, 17 एकड़ भूमि।

27. अजमल खां रोड, 11 एकड़ भूमि।
28. मस्जिद व कब्रिस्तान 64 खंबा निजामुद्दीन, 35 एकड़।
29. कस्तूरबा गाँधी मार्ग पुराना कब्रिस्तान, 22 एकड़ भूमि।
30. मस्जिद जाफतागंज इंडियागेट, 22 एकड़ भूमि (उपराष्ट्रपति भवन का लॉन)।
31. काका नगर पुरानी मस्जिद व कब्रिस्तान परिसर, 7 एकड़ भूमि।
32. मोती लाल नेहरू मार्ग, 7 एकड़ भूमि।
33. कब्रिस्तान परिसर काका नगर, 5 एकड़ भूमि।
34. बाबरी मस्जिद पंडारा रोड, 7 एकड़ भूमि।
35. लाजपत नगर, 21 एकड़ भूमि।
36. अलीगंज, लोधी रोड, 45 एकड़ भूमि।
37. मुस्लिम कब्रिस्तान अलीगंज, 11 एकड़ भूमि।
38. दरगाह फतेह शाह, बस्ती निजामुद्दीन, 21 एकड़ भूमि।
39. मुस्लिम कब्रिस्तान समीप कला मस्जिद, फिरोजशाह निजामुद्दीन, 35 एकड़ भूमि।
40. इरविन रोड मस्जिद, 5 एकड़ भूमि।
41. मस्जिद वेस्टर्न कोर्ट, 6 एकड़ भूमि।
42. मस्जिद चक्कर वाली निजामुद्दीन, 7 एकड़ भूमि।
43. मुस्लिम कब्रिस्तान जंगपुरा, 32 एकड़ भूमि।
44. मस्जिद और कब्रिस्तान लिंक रोड।
45. मजार रसुलनुमा पंचकुइयां रोड, 17 एकड़ भूमि।
46. मुनिरका गांव, 15 एकड़ भूमि।
47. मस्जिद अशोका रोड, 2 एकड़ भूमि।
48. मस्जिद चित्रागुप्त रोड, 7 एकड़ भूमि।
49. मस्जिद सुनहरी बाग, 11 एकड़ भूमि।
50. मस्जिद कलाली बाग, आर. के. पुरम मार्ग, 5 एकड़ भूमि।
51. रेड क्रास रोड, समीप संसद भवन।
52. दरगाह अबदत तस्लीम, लेडी हार्डिंग अस्पताल, 17 एकड़ भूमि।
53. अमामियां हाल पंचकुईया रोड, 21 एकड़ भूमि।
54. मस्जिद शांति निवास कनॉट प्लेस।
55. पुराना कब्रिस्तान टोडरमल लेन, बंगाली मार्किट, 10 एकड़ भूमि।
56. मोहल्ला कब्रिस्तान तुर्कमान गेट।
57. वजीराबाद पुल कब्रिस्तान, 35 एकड़ भूमि।
58. दरियागंज मस्जिद, 4 एकड़ भूमि।
59. तकियावाली मस्जिद, सदर बाजार।
60. दरगाह मामू–भांजा, पुराना रानी झांसी रोड, 11 एकड़ भूमि।
61. टकिया पुरानी ईदगाह, 4 एकड़ भूमि।
62. कप्तान वाली गली, करोल बाग।
63. आम वाली मस्जिद, करोल बाग।
64. कब्रिस्तान शैदीपुरा, 11 एकड़ भूमि।
65. हरा मजार पहाड़गंज, 2 एकड़ भूमि।
66. भोलू शाह दरगाह, समीप बिरला मंदिर, 7 एकड़ भूमि।
67. बगीची अल्लाउद्दीन, 35 एकड़ भूमि।
68. दरगाह हिन्दी पार्क दरियागंज, 4 एकड़ भूमि।
69. तुर्कमान गेट, 4 एकड़ भूमि।
70. जहांगीर रोड, समीप मिन्टो रोड, 5 एकड़ भूमि।
71. नाईवाला स्टेट, 4 एकड़ भूमि।
72. दरगाह नाईवाला, करोल बाग, 5 एकड़ भूमि।
73. कुतुबरोड, 4 एकड़ भूमि।
74. गली मटके वाली, सदर बाजार, 2 एकड़ भूमि।

75. बच्चों का घर दरियागंज, 20 एकड़ भूमि।
76. मस्जिद खुमारी, पहाड़गंज, 1 एकड़ भूमि।
77. हरी मस्जिद, पहाड़गंज, 2 एकड़ भूमि।
78. शैदीपुरा, पुराना कब्रिस्तान, 5 एकड़ भूमि।
79. मस्जिद दरजिया, बाड़ा हिन्दुराव।
80. घटा मस्जिद, दरियागंज।
81. इमामबाड़ा दरियागंज।
82. दरगाह शेर खां, झण्डेवालां, 3 एकड़ भूमि।
83. मस्जिद इमली, तेलीवाड़ा।
84. दरगाह ईमाम, समीप तीस हजारी।
85. कदम शरीफ कुतो रोड।
86. कब्रिस्तान चमेलियां, शैदीपुरा, 5 एकड़ भूमि।
87. मस्जिद झील कुरैंजा, यमुना पार।
88. शाही मस्जिद, खुरैजी, 5 एकड़ भूमि।
89. कब्रिस्तान खुरैजी, 41 एकड़ भूमि।
90. सिंकदरिया मस्जिद, झण्डेवालां।
91. जंगपुरा कब्रिस्तान, 21 एकड़ भूमि।
92. नाईवाला पुराना कब्रिस्तान।
93. दरगाह अबदर खास।
94. दरगाह अलीगंज।
95. जंगपुरा मस्जिद और दरगाह।
96. पान मंडी दरगाह, 7 एकड़ भूमि।
97. जी.बी. रोड दरगाह, 5 एकड़ भूमि।
98. कब्रिस्तान, 15 एकड़ भूमि।
99. मस्जिद कताल, मालवीय नगर।
100. कब्रिस्तान जहापनाह, 31 एकड़ भूमि।
101. दरगाह सीरी, 11 एकड़ भूमि।
102. अधिचनी कब्रिस्तान, 11 एकड़ भूमि।
103. युसुफसराय कब्रिस्तान, 7 एकड़ भूमि।
104. मोहम्मदपुरा दरगाह और कब्रिस्तान, 7 एकड़ भूमि।
105. खबासपुरा कब्रिस्तान, 7 एकड़ भूमि।
106. ग्यासपुर दरगाह, 5 एकड़ भूमि।
107. कब्रिस्तान, निजामुद्दीन।
108. कब्रिस्तान, शेखशाह रोड।
109. कब्रिस्तान, पंडारा रोड।
110. कदमशरीफ, दरगाह कब्रिस्तान।

INDIA POLICY FOUNDATION

॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

D-51, First Floor, Hauz Khas, New Delhi - 110016
Tel.: 91+11-26524018
Fax: 91+11-46089365
E-mail: indiapolicy@gmail.com
Website: indiapolicyfoundation.org

₹ 10/-